झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक, 2021

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक, 2021

झारखण्ड राज्य में दुर्बल व्यक्तियों के सांविधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और भीड़ द्वारा हिंसा एवं लिंचिंग को रोकने, तथा भीड़ द्वारा हिंसा एवं लिंचिंग के कृत्यों के लिये दंडित करने तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक।

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

(1) यह अधिनियम झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक, 2021 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जिस तिथि से राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ :

(1) इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) "हिंसा का कृत्य" से अभिप्रेत है, धारा–8 के अधीन दंडनीय कृत्य।

(ii) "प्रतिकर योजना" से अभिप्रेत है समय–समय पर यथा संशोधित "झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना, 2016"।

(iii) "जिला दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है, जिले का जिला दंडाधिकारी।

(iv) "प्रतिकूल परिवेश" से अभिप्रेत है, अभित्रासकारी अथवा प्रपीड़क ऐसा परिवेश जो पीड़ित या पीड़ित के कुटुम्ब के सदस्यों विरुद्ध अथवा किन्हीं साक्षियों या साक्षी अथवा पीड़ित को सहायता देनेवाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध बनाया जाता हो, जिसमें निम्नलिखित कृत्य सम्मिलित हैं :–

(क) ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय या कारोबार का बहिष्कार करना अथवा उसके आजीविका अर्जन को अन्यथा दुष्कर बनाना; अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति या उसके कुटुम्ब को उस परिक्षेत्र से, जहाँ वह या उसका कुटुम्ब सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता रहा है, बाहर करना, अथवा

(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा परिवहन सहित लोकसेवाओं से अपवर्जन या तिरस्कार के किसी कृत्य द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित करना; अथवा

(घ) ऐसे व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित करना या वंचित करने की धमकी देना; अथवा

(ङ) ऐसे व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्त सहमति के बिना उसके अपने घर या मामूली तौर से निवास या आजीविका के स्थान को छोड़ने के लिये विवश करना; अथवा

(च) कोई अन्य कृत्य जो, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन अपराध की श्रेणी में आता हो अथवा नहीं, जिसका प्रयोजन या प्रभाव किसी अभित्रासकारी प्रतिकूल या संतापकारी परिवेश का निर्माण करना हो।

(v) "लिंचिंग" से धर्म, वं ा, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार–व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनैतिक संबद्धता, नस्ल अथवा किसी अन्य आधार पर हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की श्रृंखला या मृत्यु कारित करना या मृत्यु कारित करने या हिंसा के कृत्य में सहायता करना या दुशप्रेरण या प्रयत्न करना, चाहे ऐसा कृत्य स्वाभाविक हो या योजनाबद्ध हो, अभिप्रेत है ।

(vi) "भीड़ (मॉब)" से दो या दो अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, अभिप्रेत है।

(vii) "संतापकारी सामग्री" से ऐसी कोई मुद्रित अथवा डिजिटल सामग्री, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह अर्थ लगाया जा सके कि धर्म, वं ा, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार– व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनैतिक संबद्धता, नस्ल अथवा किसी अन्य आधारों पर किसी व्यक्ति को लिंच करने के लिये भीड़ (मॉब) को उकसाने के लिये बनाया गया है, अभिप्रेत है ।

(viii) "नोडल अधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–3 में यथाउपबंधित नोडल पदाधिकारी।

(ix) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।

(x) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के कारित किये जाने के फलस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक क्षति को सहन किया

है, जिसमें उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी सम्मिलित हैं।

(xi) "साक्षी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से अंतर्वलित किसी दांडिक कार्य के अन्वेषण, जाँच या विचारण के प्रयोजन के निमित्त तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है या कोई आवश्यक जानकारी रखता है, जो ऐसे मामले के अन्वेषण जाँच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने लिये अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और इसमें ऐसे अपराध का पीड़ित भी सम्मिलित है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2) या भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–45) में परिभाषित की गई हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2) या भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–45) में निर्दिष्ट हैं।

अध्याय–2

नोडल अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जिला दंडाधिकारी के कर्तव्य

3. नोडल अधिकारी :

(1) पुलिस महानिदेशक, लिंचिंग की रोकथाम की निगरानी और समन्वय के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद से अन्यून एक राज्य समन्वयक, नियुक्त करेगा, जो नोडल अधिकारी कहलाएगा।

(2) उप–धारा (1) के तहत नियुक्त नोडल अधिकारी, जिलों में स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ, महीने में कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक करेगा, ताकि क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता, भीड़ द्वारा हिंसा या लिंचिंग की प्रवृत्तियों के अस्तित्व की निगरानी की जा सके और ऐसी प्रवृत्तियों को उकसाने वाले विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किन्हीं अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकें।

(3) यथास्थिति प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक अथवा वरीय पुलिस अधीक्षक जिले के लिये समन्वयक होगा, जो पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी की सहायता से भीड़ द्वारा हिंसा तथा लिंचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिये युक्तियुक्त उपाय करेगा।

4. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य :

(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रत्यक्षतः प्रभारी हो, लिंचिंग कारित करने या उसके लिये उकसावे सहित ऐसे किसी भी कृत्य को रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त कदम उठायेगा तथा इस प्रयोजनार्थ –

(i). किसी व्यक्तिविशेष या व्यक्तियों के समूह के लिंचिंग हेतु उकसाने या अग्रसर करने के लिये प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री या अन्य साधनों की पहचान करने और रोकथाम के लिये हर संभव प्रयत्न करेगा और इस निमित्त अन्य अवशिष्ट उपाय करेगा।

(ii). लिंचिंग की रोकथाम के लिये स्वयं में निहित शक्तियों अनुसार अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर होगा।

(iii) ऐसी घटनाओं में लक्षित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण परिवेश के सृजन की रोकथाम और उसकी समाप्ति के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

(2) प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को कारित किये जाने से रोकने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमतानुसार हर संभव कार्रवाई करेगा।

5. जिला दंडाधिकारी के कर्तव्य :

(1) जब कभी जिला दंडाधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ लिंचिंग की आशंका है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी भी कृत्य को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, जो उसकी राय में लिचिंग के कृत्य को उकसाने या कारित करने की ओर अग्रसर कर सकता है।

(2) प्रत्येक जिला दंडाधिकारी इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को कारित किये जाने से रोकने के लिए ऐसी घटनाओं में लक्षित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण परिवेश के सृजन की रोकथाम और उसकी समाप्ति के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमतानुसार हर संभव कार्रवाई करेगा, जहाँ उसकी राय में लिचिंग कारित होने की संभावना हो।

अध्याय–3

लिंचिंग की ओर अग्रसर करनेवाले कृत्यों का निवारण

6. लिंचिंग की रोकथाम के कर्तव्य :

(1) पुलिस थाना के प्रत्येक प्रभारी पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र के भीतर लिंचिंग, उनके उकसावे कारित किये जाने और सम्भाव्य प्रसार सहित किसी घटना को रोकने के लिये सभी युक्तियुक्त कदम उठाये और इस प्रयोजनार्थ :–

(i) अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में हिंसा के तरीकों की पहचान करने का हर संभव प्रयास करेगा, जिनसे लक्षित हिंसा की घटना उपदर्शित होती है;

(ii) लिंचिंग की किसी संभावित कृत्य के संबंध में सूचना प्राप्त करेगा;

(iii) लिंचिंग की रोकथाम के लिये स्वयं में निहित शक्तियों के अनुसार अपने कर्तव्यों के प्रति अग्रसर होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करनेवाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई विलंब किये बिना उचित, निष्पक्ष और अविभेदकारी रीति से कार्य करेगा।

7. असंयत भीड़ (मॉब) के विरुद्ध प्राधिकार के प्रयोग की शक्ति :

(1) पुलिस थाना के प्रभारी प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह असंयत भीड़ को तितर–बितर करने के लिये अपने प्राधिकार का प्रयोग करे।

(2) पुलिस थाना का प्रभारी पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 129 में निहित शक्तियों के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

(3) पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो गैरजिम्मेवार और ऐसी अंतर्वस्तु वाले विस्फोटक संदेश या वीडियो का प्रसार करते हैं, जिनसे किसी प्रकार की मॉब हिंसा के भड़कने और मॉब लिंचिंग के होने की संभावना हो, विधि के सुसंगत उपबन्धों के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेगा।

अध्याय–4

लिंचिंग के लिये दंड

8. लिंचिंग के अपराध के लिये दंड :

जो कोई भी लिंचिंग का कृत्य करता है–

(क) जहाँ उसके कृत्य से पीड़ित उपहति सहन करता है, वहाँ उसे किसी एक अवधि के लिये कारावास, जो तीन वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है तथा एक लाख रु० से अन्यून जुर्माना जो तीन लाख रु० तक हो सकता है, से दंडित किया जायेगा।

(ख) जहाँ उसके कृत्य से पीड़ित को घोर उपहति लगती है, वहाँ उसे आजीवन कारावास से दण्डनीय या किसी एक अवधि के लिये कारावास, जो दस वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है तथा तीन लाख रु० से अन्यून जुर्माना जो पाँच लाख रु० तक हो सकता है, से दंडित किया जायेगा।

(ग) जहां कृत्य से पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, वहाँ उसे सश्रम आजीवन कारावास के साथ पाँच लाख रुपये से अन्यून जुर्माने, जिसे पच्चीस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा।

9. लिंचिंग के षडयंत्र या दुष्प्रेरण या सहायता या प्रयत्न करने के लिये दंड–

जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिंच करने के षडयंत्र में सम्मिलित होता है, या षडयंत्र करता है या लिंचिंग के कृत्य के लिये दुष्प्रेरित या उसमें सहायता या प्रयत्न करता है तो वह उसी रीति से दंडित किया जायेगा, मानो उसने स्वयं लिंचिंग कारित की है।

10. विधिक प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने के लिये दंड –

कोई व्यक्ति –

(क) जो यह जानता है या जिसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी है, और उस अन्य व्यक्ति को उक्त अपराध के लिये उसकी गिरफ्तारी विचारण या दंड से, निवारित करने, रोकने या अन्यथा हस्तक्षेप करने के आशय से कोई सहायता प्रदान करता है, तो उसे ऐसी किसी अवधि के लिये कारावास, जिसे तीन वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है तथा एक लाख रु० से अन्यून

जुर्माने से भी, जिसे तीन लाख रु० तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जायेगा।

(ख) जो किसी साक्षी को उसके शरीर या संपत्ति को या ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति, जिसमें वह हितबद्ध है, को क्षति पहुँचाने के लिये उस व्यक्ति को हानि पहुँचाने के आशय से धमकाता है या उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या विचारण में साक्षी होने से विरत रहने या प्रत्याहृत करने के लिये विवश करता है तो वह ऐसी किसी अवधि के लिये कारावास, जिसे पाँच वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है तथा दो लाख रु० से अन्यून जुर्माने से भी, जिसे पाँच लाख रु० तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जायेगा।

अध्याय–5

अन्य अपराध और दंड

11. संतापकारी सामग्री के प्रसार के लिये दंड :

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुये भी, जो कोई भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी रूप से किसी संतापकारी सामग्री को प्रकाशित, संसूचित या प्रसारित करेगा तो वह ऐसी किसी अवधि के लिये कारावास, जिसे एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है, तथा पचास हजार रु० से अन्यून जुर्माने, जिसे एक लाख रु० तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जायेगा।

12. प्रतिकूल वातावरण प्रवर्तित करने के लिये दंड :

जो कोई किसी व्यक्ति, या व्यक्तियों के समूह के प्रतिकूल वातावरण को प्रवर्तित करता है या सहयोग करता है वह ऐसी किसी अवधि के लिये कारावास, जिसे तीन वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है तथा एक लाख रु० से अन्यून जुर्माने, जिसे तीन लाख रु० तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जायेगा।

अध्याय–6

अन्वेषण, अभियोजन और विचारण

13. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना :

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध उस सीमा के सिवाय, जिस सीमा तक उन्हें इस अध्याय के अधीन उपबंधों द्वारा संशोधित या अनुपूरित किया गया है, इस अधिनियम पर लागू होंगे।

14. अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना :

जबतक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे।

15. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण :

इस अधिनियम के अधीन कारित किसी भी अपराध का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक की रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस पदाधिकारी नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि विशेष परिस्थिति में राज्य का नोडल पदाधिकारी किसी पुलिस सब–इंस्पेक्टर को इस अधिनियम के अधीन कारित अपराध के अन्वेषण के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

16. विचारण के दौरान पीड़ितों और साक्षियों के अधिकार :

(1) न्यायालय जिसके समक्ष की किन्हीं कार्यवाहियों में किसी साक्षी द्वारा आवेदन दिये जाने पर या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा या स्वप्रेरणा से ऐसे उपाय कर सकेगा जो किसी साक्षी की पहचान और पता को गोपनीय रखने के लिये वह उचित समझे।

(2) पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन न्यायालय की किसी कार्यवाही की युक्तियुक्त, सही तथा ससमय सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा और वह किसी अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, पैरोल, दोषसिद्धि या दंडादेश या संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों या बहसों में सुनवाई का हकदार होगा और दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या दंडादेश पर लिखित निवेदन दाखिल किये जाने का हकदार होगा।

(3) यथास्थिति पुलिस अधीक्षक अथवा वरीय पुलिस अधीक्षक अथवा उसके द्वारा नामित पदाधिकारी पीड़ित को अपराध के अन्वेषण की प्रगति के बारे में, चाहे

अपराधी गिरफ्तार किया गया हो या नहीं, उसपर आरोपपत्र दाखिल किया गया हो या नहीं, उसे जमानत दी गई हो या नहीं, आरोपित किया गया हो या नहीं, दोषसिद्ध या दंडादिष्ट किया गया हो या नहीं, और यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिये आरोपित किया गया है तो संदिग्ध अपराधी के नाम के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज किये जाने के तीस दिनों के भीतर लिखित में सूचना देगा।

(4) पीड़ित को अन्वेषण या जाँच के दौरान अभिलिखित किये गये साक्षी के किसी कथन की प्रति और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 173 के अधीन फाइल किये गये समस्त कथनों और दस्तावेजों की प्रति, पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र या समापन रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(5) यदि पीड़ित ऐसा चाहता है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का और विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) के अधीन विधिक सहायता पैनल में नामांकित अधिवक्ताओं में से किसी अधिवक्ता को, जिसे वह चाहे नियुक्त करने का अधिकार होगा और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित या सूचना देनेवाले व्यक्ति द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के समस्त खर्चे, व्यय और फीस का संदाय सुसंगत नियमों के अधीन करेगा।

(6) राज्य सरकार का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह गवाह संरक्षण स्कीम में यथाउल्लिखित किसी प्रकार की हिंसा के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरण या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों और साक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था करे।

(7) राज्य सरकार अभिहित न्यायाधीश को किसी पीड़ित, सूचना देनेवाले या साक्षी को दिये गये संरक्षण के बारे में सूचित करेगी और अभिहित न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन दिये जा रहे उसे संरक्षण का कालिक पुनरावलोकन करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि किसी भी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा अथवा हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ित, सूचना देनेवाले या साक्षियों की शिकायत को, चाहे वह मौखिक रूप दी जाय या लिखित रूप से, प्राप्त करे और अभिलिखित करे और उसके अभिलिखित किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर उसकी प्रति अभिहित न्यायाधीश को भेजी जायेगी।

अध्याय–7

राहत

17. पीड़ित का उपचार :

सभी अस्पतालों, लोक या निजी, चाहे वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित हों, पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सीय उपचार प्रदान करेंगे और ऐसी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देंगे। ऐसे किसी अस्पताल में उपचार के व्यय का वहन मुआवजा (प्रतिकर) योजना के अधीन प्रभार्य होगा।

18. लिंचिंग का प्रतिकर :

(1) राज्य सरकार समय–समय पर यथासंशोधित प्रतिकर योजना के अधीन पीड़ित को प्रतिकर प्रदान करेगी।

(2) वसूल किया गया कोई भी जुर्माना इस अधिनियम की धारा 8, 10, 11 और 12 में यथावर्णित प्रतिकर योजना की निधि का हिस्सा होगा।

अध्याय–8

अपील

19. अपील :

(1) किसी निचली अदालत के निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो कि अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस निर्णय, दंडादेश या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, की तिथि से साठ दिनों की कालावधि के भीतर की जाएगी;

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा साठ दिनों की उक्त कालावधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था, तो उच्च न्यायालय साठ दिनों की उक्त कालावधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा।

अध्याय–9

प्रकीर्ण

20. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति :

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाईयों के निराकरण के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया ऐसा प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के प चात, शीघ्र राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

21. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना :

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

22. नियम बनाने की शक्ति :

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य में दुर्बल व्यक्तियों के सांविधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और भीड़ द्वारा हिंसा एवं लिंचिंग को रोकने, तथा भीड़ द्वारा हिंसा एवं लिंचिंग के कृत्यों के लिये दंडित करने तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक, 2021 को पारित किया जाना आवश्यक है।

विधयेक का लक्ष्य इन उद्देश्यों की पूर्ति है।

(हेमन्त सोरेन)
भार–साधक–सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 16(A)--200--19-12-2021 ।